

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 17/16

संस्थित दिनांक 05.04.2016

रमेशबाबू कुशवाह पुत्र हरविलास कुशवाह आयु  
60 साल व्यवसाय कृषि कार्य निवासी ग्राम  
शेरपुर थाना ऐण्डोरी तहसील गोहद जिला  
भिण्ड म0प्र0

..... आवेदक

बनाम

1. अरविन्दर सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम  
खेरे का पुरा, पोस्ट रायतपुरा, तहसील गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

चालक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199

2. हुकुम सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह सिख निवासी  
खेरे का पुरा पोस्ट, रायतपुरा तहसील गोहद,  
जिला भिण्ड म0प्र0

मालिक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199

3. मेग्मा-एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेंस कंपनी  
लिमिटेड द्वारा प्रबंधक कार्यालय-मेग्मा हाऊस  
24-पार्क स्ट्रीट कोलकता

..... बीमा कंपनी

..... अनावेदकगण

.....  
आवेदक द्वारा श्री ब्रजकिशोर कुशवाह अधिवक्ता  
अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।  
अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री दाताराम बसल अधिवक्ता।  
.....

// अधि-निर्णय //

(आज दिनांक 13.05.2017 को पारित)

- यह क्लेम याचिका धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 30.07.2015 को पप्पू राठौर के खेत के सामने आम रोड शेरपुर अंतर्गत थाना ऐण्डोरी जिला भिण्ड में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदक को आई चोटों से उत्पन्न स्थाई निशक्ता के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 6,66,000/- ब्याज सहित दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. क्लेम याचिका के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दि०-30.07.2015 को शाम 5:30 बजे आवेदक रमेशबाबू कुशवाह रायतपुरा पेड़ा वाली रोड़ से पैदल-पैदल अपने गांव शेरपुर के लिए जा रहा था। जैसे ही वह पप्पू राठौर के खेत के सामने पहुंचा, तभी अनावेदक क०-2 के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के ट्रैक्टर क्रमांक-एम०पी.३०-ए.ए. 6199 को उसके चालक अनावेदक क०-1 ने अनावेदक क०-2 के नियोजन में रहते हुए बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे आवेदक को गंभीर चोटें आयीं। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन दि०-31.07.2015 को आवेदक के पुत्र बृजमोहन कुशवाह के द्वारा थाना एण्डोरी में की गयी, जिसपर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आवेदक दि०-30.07.2015 से 07.08.2015 तक जे०ए० अस्पताल ग्वालियर में भर्ती रहा, जहां उसके पैर का ऑपरेशन कर रॉड डाली गयी तथा स्कू लगाये गये। दुर्घटना के समय आवेदक कृषि कार्य करके 7500/-रूपये प्रतिमाह की दर से आय अर्जित करता था। दुर्घटना में आई चोटें से उसको स्थाई विकलांगता कारित हुई है। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति की राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है।
3. अनावेदक क०-1 और 2 की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्यख्यान किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि उक्त प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। उक्त ट्रैक्टर के संबंध में झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अनावेदक क०-3 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्यख्यान किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि यदि उक्त प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना होना, आवेदक को चोटें आना, ट्रैक्टर का बीमा होना सिद्ध होता है तो यह आपत्ति की गयी है कि घटना के 40 दिन के उपरांत ट्रैक्टर को जप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में

किसी वाहन के पंजीयन नंबर का उल्लेख नहीं है। क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए वाहन को झूठा लिप्त किया गया है। उक्त वाहन के चालक के पास दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। वाहन बीमा संविदा की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर मेरे पूर्व विद्वान अधिकारी के द्वारा निम्न वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के ट्रैक्टर क्र०-एम.पी.-30-ए.ए. 6199 को दिनांक 30.07.2015 को शाम करीब 05:30 बजे पप्पू के खेत के सामने आम रोड शेरपुर थाना एण्डोरी के पास उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित कर गंभीर उपहति कारित की ?	अप्रमाणित।
2. क्या उक्त कथित दुर्घटना में आई चोट के फलस्वरूप आवेदक को स्थाई निःशक्तता आई है ? यदि हां तो कितने प्रतिशत ?	स्थायी निःशक्तता आना अप्रमाणित। फ्रेक्चर होकर गंभीर चोट आना प्रमाणित।
3. क्या आवेदक उक्त कथित दुर्घटना में पहुंची क्षतियों की पूर्ति के लिए अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र है? यदि हां तो किस-किस से और कितनी-कितनी राशि ?	आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
4. क्या अनावेदक क्र०-01 व 02 द्वारा उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों को उल्लंघन किया है ? यदि हां तो प्रभाव	अप्रमाणित।
5. अन्य अनुतोष ?	क्लेम याचिका निरस्त की गई।

#### सकारण निष्कर्ष:-

#### वाद प्रश्न क्रमांक-01 :-

6. आवेदक रमेशबाबू कुशवाह अ.सा.-1 ने यह बताया है कि दि०-30.07.2015 को शाम करीब 07:30 बजे वह रायतपुरा पेड़ा वाली रोड से पैदल-पैदल अपने गांव शेरपुर के लिए जा रहा था। जैसे ही वह पप्पू राठौर के खेत के पास पहुंचा, तभी ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.-30-ए.ए. 6199 का

चालक ट्रैक्टर को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और पीछे से आकर उसे जोर से टक्कर मार दी, जिससे उसे जगह-जगह चोटें आयीं तथा दाया पैर घुटने के ऊपर से टूट गया। प्रतिपरीक्षण में उसने पैरा-6 में यह बताया है कि वह सबसे पहले गोहद अस्पताल आया था। उसके ग्वालियर रैफर किया गया था। इसके विपरीत अरविन्दर सिंह अनावेदक साक्षी क०-1 ने यह बताया है कि क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए उसके ट्रैक्टर का नंबर गलत लिखाया गया है। उसके द्वारा वाहन को चलाकर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कारित नहीं की गयी है। ट्रैक्टर का नंबर पुलिस से मिलकर झूठा लिखाया गया है। प्रतिपरीक्षण पैरा-5 में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना दिनांक-30.07.2015 को उक्त ट्रैक्टर को वह चला रहा था। परंतु इस तथ्य से इंकार किया है कि दि०-30.07.2015 को ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर रमेशबाबू कुशवाह को टक्कर मार दी थी।

7. आवेदक की ओर से प्रदर्श पी.-1 लगायत पी.-8 के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गयी हैं, जोकि उक्त संबंधित आपराधिक प्रकरण की हैं। आवेदक की ओर से इलाज से संबंधित पर्चे एवं बिल प्रदर्श पी.-09 लगायत पी.-18 प्रस्तुत किए गए हैं एवं एक्सरे प्लेट आर्टिकल A1 प्रस्तुत की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-1 का अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि दुर्घटना दि०-30.07.2015 की शाम 05:30 बजे की है और रिपोर्ट 31.07.2015 को दोपहर 03:30 बजे लिखायी गयी है। रिपोर्ट आवेदक रमेशबाबू कुशवाह के पुत्र बृजमोहन कुशवाह ने लिखायी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 के कॉलम नंबर-8 में रिपोर्ट विलंब से लिखाये जाने का कारण "पिता का इलाज कराये जाना" लिखा हुआ है।

8. उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 का अध्ययन करने पर उसमें यह तथ्य आया है कि बृजमोहन का पिता रमेशबाबू पप्पू राठौर के खेत के सामने पहुंचा, तो एक ट्रैक्टर सोनालिका का चालक अपने ट्रैक्टर को तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया और रमेशबाबू को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह वहीं गिर गया और इलाज के लिए गोहद ले जाया गया तथा गोहद से रमेशबाबू को इलाज हेतु ग्वालियर रैफर कर दिया गया। उक्त



प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.-01 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ट्रैक्टर सोनालिका के चालक से उक्त ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर रमेशबाबू को टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आयीं। परंतु इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.-30-एए 6199 के चालक के द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से ट्रैक्टर को चलाकर टक्कर मारी गई।

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें सोनालिका ट्रैक्टर के चालक द्वारा टक्कर मारना बताया गया है परंतु ट्रैक्टर के नंबर का कोई उल्लेख नहीं है। आवेदक की ओर से जप्ती पंचनामा प्र0पी0-05 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार दिनांक 08.09.2015 को ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199 को जप्त किया गया है। यह वह दस्तावेज है जिसमें प्रथम बार ट्रैक्टर का नंबर प्रकट हुआ है। इसके पहले का आवेदक की ओर से उक्त ट्रैक्टर के नंबर के संबंध में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त ट्रैक्टर का नंबर प्रथम बार प्रकाश में कैसे आया और उक्त ट्रैक्टर को किस आधार पर जप्त किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

10. यद्यपि पुलिस के द्वारा अनुसंधान में प्रथम दृष्टि में अनावेदक क्रमांक 01 अरविन्दर सिंह को प्रथम दृष्टि में दोषी पाते हुए प्र0पी0-08 का अभियोगपत्र उसके विरुद्ध प्रस्तुत किया है। परंतु उक्त ट्रैक्टर के संबंध में घटना से जुड़ने संबंधी कोई प्रमाण आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 में ट्रैक्टर का नंबर नहीं है। आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है कि जिससे यह प्रकट हो कि उक्त ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199 के चालक के द्वारा उक्त ट्रैक्टर को चलाकर रमेश बाबू को टक्कर मारी गई हो। जिससे कि अनावेदक क्रमांक 01 अरविन्दर सिंह अना0सा0-01 की इस साक्ष्य की पुष्टि होती है कि उसके द्वारा अपने ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199 से कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई।

11. आवेदक रमेशबाबू कुशवाह आ0सा0-01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में

ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199 के चालक द्वारा टक्कर मारना बताया है परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में ट्रैक्टर के क्रमांक का कोई उल्लेख नहीं है जिससे कि इस मौखिक साक्ष्य की पुष्टि नहीं होती है कि ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199 के द्वारा आवेदक को टक्कर मारी गई और इसी नंबर के ट्रैक्टर के द्वारा टक्कर मारते हुए आवेदक के द्वारा देखा गया। अन्य किसी चक्षुदर्शी साक्षी की भी ऐसी साक्ष्य नहीं है कि उक्त ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199 के द्वारा आवेदक को टक्कर मारी गई और उक्त ट्रैक्टर के क्रमांक को साक्षी द्वारा अपनी आंखों से देखा गया। अतः ऐसी स्थिति में उक्त घटना से उक्त ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199 का जुड़ना एवं घटना में उक्त ट्रैक्टर का लिप्त होना प्रकट और प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199 को दिनांक 30.07.2015 को अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर रमेशबाबू को टक्कर मार कर दुर्घटना कारित की गई।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक-2: -**

12. इस संबंध में आवेदक की ओर से स्थाई निशक्त्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त दुर्घटना में आयी चोटों से आवेदक को कोई स्थाई निशक्त्ता कारित हुई। जहां तक चोटों की प्रकृति का संबंध है, एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी.-4 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि सीधे पैर में फीमर हड्डी में फ्रैक्चर होना पाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक को उक्त दुर्घटना में फीमर हड्डी का फ्रैक्चर होकर गंभीर उपहति कारित हुई है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक-4 :-**

13. सुविधा की दृष्टि से इस वादप्रश्न का निराकरण वादप्रश्न क्र०-3 के पूर्व किया जा रहा है। बीमा संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अनावेदक क्र०-1 की ओर से प्रदर्श डी.-3 की बीमा पॉलिसी प्रस्तुत की

गयी है, जिसके अनुसार उक्त इंजन नंबर और चेसिस नंबर का ट्रैक्टर जिसका वर्णन मेकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी.-3 में है अर्थात इंजन नंबर-4100DL33E349063F9 एवं चेसिस नंबर FZUDV349737S3 के ट्रैक्टर की बीमा पॉलिसी दि०-28.10.2014 से 27.10.2015 तक के लिए है। दुर्घटना दि०-30.07.2015 की है। इस प्रकार उक्त अवधि में उक्त वाहन का बीमा है। बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अंतिम तर्क में भी कोई ब्रीच नहीं होना प्रकट किया गया है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि बीमा संविदा की शर्तों का कोई उल्लंघन किया गया है।

**वाद प्रश्न क्रमांक-3: -**

14. यह वादप्रश्न क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण के संबंध में है। आवेदक रमेशबाबू कुशवाह आ.सा.-1 ने यह बताया है कि वह दि०-30.07.2015 से 07.05.2015 तक जे.ए. अस्पताल में भर्ती रहा है, उसके पैर का ऑपरेशन कर पैर में रॉड डाली गयी तथा स्कू लगाये गये। आवेदक की ओर से डिस्चार्ज टिकट प्र०पी०-15 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदक को दिनांक 30.07.15 को भर्ती किया गया और दिनांक 07.08.15 को डिस्चार्ज किया गया है। इस प्रकार आवेदक रमेश बाबू लगभग दस दिवस जे.ए. अस्पताल में भर्ती रहा है। प्र०पी०-12 के केशमेमो से स्पष्ट है कि आई.एम.एल. फीमर नेल एवं इंटरलॉकिंग वॉल्ट कय किया गया है तथा प्र०पी०-13, प्र०पी०-14 के इलाज के पर्चे के अनुसार तथा डिस्चार्ज टिकट प्र०पी०-15 के अनुसार आवेदक की दाहिनी जांघ में फीमर हड्डी की सी.आर.आई.एफ. अर्थात फीमर इंटरलॉकिंग एवं नेलिंग की गई है, जो कि दिनांक 03.08.15 को जे.ए. अस्पताल में की गई है। अतः ऐसी स्थिति में मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीड़ा के मद में 30,000/-रुपए की राशि का निर्धारित किया जाना न्यायोचित है। अतः इस मद में 30,000/-रुपए की राशि निर्धारित की जाती है।

15. आवेदक 10 दिवस अस्पताल में रहा है और वह ग्राम शेरपुर गोहद का रहने वाला है। तब निश्चित है कि उसके व उसके परिवार के आने जाने

में राशि खर्च हुई होगी। यद्यपि आने जाने के व्यय का कोई बिल या रासीद प्रस्तुत नहीं है। फिर भी यह मान्य किया जाता है कि लगभग आने जाने में 1,500/-रुपए की राशि खर्च हुई होगी। अतः आवागमन एवं परिवहन के मद में 1,500/-रुपए की राशि निर्धारित की जाती है। इस दौरान आवेदक ने विशेष आहार लिया होगा। विशेष आहार हेतु 1,500/-रुपए की राशि निर्धारित की जाती है।

16. उसके दाहिने पैर की फीमर हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है एवं उसका ऑपरेशन हुआ है। तब निश्चित है कि आवेदक लगभग तीन माह तक अपने सामान्य कार्य करने से विरत रहा होगा। तब ऐसी स्थिति में उसे किसी न किसी ने अटेंड किया होगा, तब अटेंडर की मद में 3,000/-रुपए की राशि निर्धारित की जाती है। जहां तक की आय की हानि का प्रश्न है। आवेदक ने कृषिकार्य से 7,500/-रुपए मासिक आय होना बताया है। परंतु उक्त आय के संबंध में कृषि भूमि के कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं है। कृषि मजदूरी के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि आवेदक कृषि कार्य करके 7,500/-रुपए मासिक की आय अर्जित करता था।

17. वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाएं तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक की मासिक आय 5,000/-रु. मान्य की जाती है। अतः आय की हानि के रूप में तीन माह की आय 15,000/-रुपए निर्धारित की जाती है।

18. जहां तक की इलाज के व्यय का प्रश्न है, यद्यपि पैरा-06 में आवेदक ने प्र0पी0-09 लगायत 11 के संबंध में डॉक्टर के पर्चे पेश नहीं करना बताया है। परंतु उक्त प्र0पी0-09 लगायत प्र0पी0-11 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वे दिनांक 30.07.15, 31.07.15 एवं 07.08.15 के हैं। प्र0पी0-16 जे.ए.



अस्पताल की रसीद दिनांक 30.07.15 की है। डिस्चार्ज टिकट प्र०पी०-15 के अनुसार आवेदक 30.07.15 से 07.08.15 तक भर्ती रहा है। उक्त डिस्चार्ज टिकट में जो प्रिस्क्रिप्शन है लगभग वही दवाईयां प्र०पी०-09 लगायत प्र०पी०-11 में है। जहां कि भर्ती होकर इलाज हुआ है, वहां यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि आवेदक के इलाज हेतु दवाईयां न लिखी गई हों। उक्त केशमेमो लगातार कम में होने से मान्य किया गया। प्र०पी०-09 का केशमेमो 1,700/-रुपए का है, प्र०पी०-10 की राशि 740/-रुपए है, प्र०पी०-11 की राशि 2,310 रुपए है, प्र०पी०-12 की राशि 2,650/-रुपए है, प्र०पी०-16 की रसीद 100/-रुपए की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई बिल व पर्चे पेश नहीं है। उक्त राशियों का योग करने पर कुल राशि 7500/-रुपए निर्धारित की जाती है।

19. इस प्रकार क्षतिपूर्ति राशि के रूप में निम्न राशि निर्धारित की गई—

क्रमांक	मद	राशि
1	मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीड़ा के मद में	30,000 /—रुपए
2.	आवागमन एवं परिवहन के मद में	1,500 /—रुपए
3.	विशेष आहार में व्यय राशि	1,500 /—रुपए
4.	अटेण्डर व्यय की राशि	3,000 /—रुपए
5.	आय की हानि	15,000 /—रुपए
6.	इलाज का व्यय	7,500 /—रुपए
	कुल राशि	58,500 /—रुपए

**वादप्रश्न क्रमांक-05 अन्य अनुतोष:-**

20. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित नहीं हुआ है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के नियोजन में रहते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-एए-6199 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक रमेशबाबू कुशवाह को टक्कर मार कर दुर्घटना कारित की। इस कारण आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

21. अतः निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. क्लेम याचिका निरस्त की गई।
2. उभयपक्ष अपना अपना वादव्यय वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क 1,000/-रुपए लगाया जावे।

उक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.  
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.  
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)